न्यायालय, सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला–पाली) राज०

पीठासीन अधिकारी : डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर०ए०एस०
राजस्व वाद संख्या : 82/2021
GCMS NO. : 2021/151

–: प्रार्थीगण :– बनाम –: अप्रार्थीगण :–

–: प्रार्थीगण :–	–: अप्रार्थीगण :–
1. संतोष पत्नी रामप्रकाश गहलोत जाति– माली, निवासी– आगेवा रोड जैतारण, तहसील– जैतारण, जिला– पाली (राज.)	1.दिनेश पुत्र नेमीचंद जाति माली 2.ओमप्रकाश पुत्र भंवरलाल जाति माली 3.रामवल्लभ पुत्र भंवरलाल जाति माली 4.कैलाश पुत्र भंवरलाल जाति माली निवासी भूतियो की बाड़ी जैतारण। 5.विनय पुत्र रामकिशोर माली 6.रामकिशोर पुत्र चुन्नीलाल जाति माली 7.हर्षित चौहान पुत्र रामकिशोर चौहान जाति माली निवासी चौहानो की पोल जैतारण जिला पाली। 8.उपपंजीयन अधिकारी एवं तहसीलदार जैतारण।

राजस्वप्रार्थना पत्रबाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212राजस्थान काश्तकारी अधिनियम,1955
तारीख रजूः–23.06.2021

उपस्थितः–

1. श्री जगदीश सोलंकी व चंदनसिंह गोयल, अधिवक्ता, प्रार्थीगण।

–:: निर्णय ::– **दिनॉकः– 28/07/2022**

वकील मय प्रार्थीगण ने एक राजस्व प्रार्थना बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, के तहत् इस आशय का पेश किया कि सरहद मौजा जैतारण पटवार हल्का जैतारण में प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि निम्न खसरान की आई हुई है– खसरा संख्या 646 रकबा 05–00 बीघा किस्म चाही सोयम, खसरा संख्या 645 रकबा 05–09 बीघा किस्म चाही सोयम, खसरा संख्या 648 रकबा 05–04 बीघा किस्म चाही सोयम, खसरा संख्या 649 रकबा 05–08 बीघा किस्म चाही सोयम, खसरा संख्या 652 रकबा 05–15 बीघा किस्म चाही सोयम कुल खसरा संख्या 05 कुल रकबा 26–16 बीघा। उपरोक्त आराजी के प्रार्थी व अप्रार्थीगण संख्या 39 का राजस्व रेकर्ड में वर्णित हिस्से के खातेदार काश्तकार है। एवं मौके पर अलग अलग शांतिपूर्वक प्रार्थी व अप्रार्थीगण काश्त करते चले आ रहे है जमाबंदी व ट्रेस नक्शा की नकल संलग्न की जा रही है जिसे दावा का एक आवश्यक भाग माना जावे उक्त आराजी पर प्रार्थीया मौके पर काबिज है एवं शांतिपूर्वक काश्त करते चले आ रहे है उक्त आराजी का प्रार्थी उपयोग उपभोग

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.07 13:46:07 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला-पाली

करता आ रहा है एवं प्रार्थी अपने हिससे की भूमि को उपजाऊ बनाने के लिए बैंक से ऋण व किसान क्रेडिट कार्ड बनाना चाहता है लेकिन अप्रार्थीगण प्रार्थी के हिस्से की जमीन पर जबरदस्ती कब्जा मुख्य भाग पर आवासीय कॉलोनी काटना चाहता है एवं किसी अजनबी क्रेता को प्रार्थी के हिस्से की जमीन देखाकर नाजायज रूप से बैचान करना चाहते है एवं हर समय छोटी से छोटी बातो पर आए दिन आपस में विवाद होता रहता है एवं प्रार्थीया को अप्रार्थीगण अपने जायज अधिकारो से वंचित करना चाहते है इसलिए उक्त आराजी का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस में बंटवाड़ा किया जाकर खाता व लगान अलग किया जावे। प्रार्थी व अप्रार्थीगण की उक्त मुतनाजा जमीन के रास्ता लगता है एवं उक्त आराजी मुख्य सड़क पर होने से मौके पर प्रार्थी व अप्रार्थीगण अलग अलग अपने अपने हिस्से अनुसार काश्त करते आ रहे है लेकिन उक्त जमीन रास्ता व डामर सड़क के लगते ही होने व जमीन की किमत बढने से मौके पर जमीन प्रार्थी के पास कम होने से व अप्रार्थीगण रास्ते के पास अपने हिस्से से ज्यादा जमीन पर बिना बंटवाड़ा ही कब्जा कर आवासीय कॉलोनी काटकर किसी अजनबी व्यक्ति को बैचान करना चाहते है जबकि अप्रार्थीगण को ऐसा करने का कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नही है। एवं मुतनाजा जमीन का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के बंटवाड़ा बाबत् प्रार्थी ने अप्रार्थीगण को दिनांक 08.04.2021 को कहा लेकिन अप्रार्थीगण ने बंटवाड़ा करवाने से साफ इंकार कर दिया एवं अप्रार्थीगण ने ऐलानिया धमकी दी कि रास्ते के पास वाली पुरी जमीन पर जबरदस्ती कब्जा कर किसी अजनबी व्यक्ति को बैचान कर देंगे तो प्रार्थी अपने जायज अधिकारो से वंचित रह जायेगा व वादीगण को असीम हानि होगी। प्रार्थी द्वारा अपने हिस्से की जमीन पर लाखो रूपये लगाकर उपजाऊ बनाई गई है इसलिए अप्रार्थीगण को प्रार्थी के हिस्से की जमीन पर कब्जा करने का कानूनी अधिकार प्राप्त नही है। उक्त मुतनाजा जमीन का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के बंटवाड़ा हुए बिना ही अप्रार्थीगण अपने हिस्से से ज्यादा जमीन पर केवल मात्र लाठी के बल पर उक्त भूमि जो रास्ते के पास मुख्य भाग पर उक्त खसरा की जमीन पर आवासीय कॉलोनी काटकर कब्जा करके किसी अजनबी व्यक्ति को बैचान किए बिना बंटवाड़ा कर देंगे या प्रार्थी को अपने हिस्से की जमीन पर काश्त नही करने देंगे तो प्रार्थी अपने जायज अधिकारो से हमेशा के लिए वंचित हो जायेगे एवं प्रार्थी को अप्रार्थीगण के विरूद्ध विविध प्रकार के मुकदमेंबाजी करनी पडेंगी जिससे प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति होगी जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी सूरत में अप्रार्थीगण को अदा नही कर सकेंगे इसलिए अप्रार्थीगण को उक्त मुतनाजा जमीन में कब्जा करने व बिना बंटवाड़ा किए ही बैचान, रहन, वसीयत आदि करने से जरिए अस्थाई निषेधाज्ञा से रोका जाना जरूरी है। अतः मुतनाजा जमीन के राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज हिस्से माफिक मौके पर बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के रास्ते पर सभी खातेदारान् को अपने हिस्से माफिक बंटवाड़ा किया जाकर पत्थरगढी करवाकर खाता अलग अलग किया जाकर लगान अलग की जाकर राजस्व रेकर्ड के नक्शा ट्रैस में लाल स्याही से तरमीम किया जावे। उक्त मुतनाजा भूमि प्रार्थी की खातेदारी एवं

Signature Not Verified
Digitally Signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.07 13:46:07 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
बैलारण, जिला-पाली

कब्जे काश्त की होने से प्रथम दृष्टया केश प्रार्थी के पक्ष में बहूत ही मजबूत है यदि अप्रार्थीगण उक्त आराजी का विशिष्ट भू भाग बिना बंटवाड़ा किए ही आवासीय कॉलोनी काटकर बैचान, रहन, वसीयत आदि किसी अजनबी व्यक्ति को कर देंगे तो प्रार्थी अपने जायज अधिकारो से वंचित रह जायेगा एवं प्रार्थी को असीम नुकशान होगा एवं विविध प्रकार के मुकदमें बाजी करनी पड़ेगी जिससे प्रार्थी जेर बार होगा। प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति होगी जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी सूरत में अप्रार्थीगण को अदा नही कर सकेंगे एवं उक्त आराजी पर प्रार्थी का कब्जा काश्त होने से सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में बखूबी साबित है। इसलिए अप्रार्थीगण को उक्त मुतनाजा जमीन में कब्जा करने व बिना बंटवाड़ा किए ही बैचान रहन वसीयत आदि करने से एवं कच्चा एवं पक्का निर्माण कार्य करने से जरिए अस्थाई निषेधाज्ञा से रोका जाना जरूरी है।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिए नोटिस/सम्मन तलब किया। अप्रार्थीगण संख्या 01 से 08 को बार बार आवाजे दिलाई गई बावजूद सम्मन सूचना के अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाती है।

बहस अधिवक्ता प्रार्थी राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 पर सुनी गई। पत्रावली मय दस्तावेजात, गहनता से अवलोकन किया गया। पत्रावाली पर उपलब्ध दस्तावेजात के अवलोकन व विधिक प्रास्थिति के आधार पर प्रकरण का बिंदूवार विवेचन एवं निर्णयन् निम्नानुसार हैः–

(01) प्रथम दृष्टया मामला :– वादग्रस्त आराजी के सम्बन्ध में प्रार्थीया ने अप्रार्थीगण के विरूद्ध बंटवाड़ा एवं स्थाई निषेधाज्ञा बाबत् वादपत्र प्रस्तुत कर हस्तगत अस्थाई निषेधाज्ञा बाबत् प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वादग्रस्त आराजी प्रार्थीया व अप्रार्थीगण की अविभाजित सहखातेदारी आराजी है जिसका प्रार्थी हिस्से अनुसार कानूनन बंटवाड़ा करवाना चाहता है लेकिन अप्रार्थीगण बिना बंटवाड़ा करवाये ही उक्त भूमि पर जबरदस्ती आवासीय कॉलोनी काटकर अजनबी व्यक्तियो को भूमि को हस्तान्तरित करने पर आमादा है। जिससे प्रकरण में अनावश्यक पेचीदगिया उत्पन्न होगी अतः प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीया के पक्ष में निहित है।

अप्रार्थीगण बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

पत्रावली एवं वादग्रस्त आराजी के भू अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी उभयपक्ष की अविभाजित सहखातेदारी भूमि है जिसमें प्रार्थिया का 1/18 हिस्सा अंकित है, ऐसी स्थिति में केवल प्रार्थिया के पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला निहित होना नही माना जा सकता है अतः यह बिन्दू प्रार्थी के विरूद्ध निर्णित किया जाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.07 13:46:07 IST
Reason: SelfAttested

(02) सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति :– चूंकि प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीया के विरूद्ध निर्णित हुआ हैं, साथ ही वादग्रस्त आराजी उभयपक्ष की अविभाजित सहखातेदारी भूमि है जिसमें अपने हक हिस्से तक सुविधा का संतुलन प्रत्येक

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला- पाली

सहखातेदार के पक्ष में निहित होता है अतः केवल प्रार्थीया के पक्ष में सुविधा का संतुलन निहित होना नही माना जा सकता है जबकि भू अभिलेख में प्रार्थिया का 1/18 हिस्सा अंकित है। इसी प्रकार अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किए जाने से उन्हे अंपने खातेदारी अधिकारो के उपभोग से वंचित होना पड़ सकता है जिससे अप्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति संभव है। अतः उपर्युक्त दोनों बिन्दू प्रार्थीया के पक्ष में साबित नहीं होनें से प्रार्थी के विरूद्ध निर्णित किये जाते है।

अतः उपर्युक्त बिंदूवार विवेचन के आधार पर हमारा यह विनम्र अभिमत है कि प्रार्थी प्रार्थना-पत्र साबित करनें में पूर्णतया असफल रहा हैं, अतः प्रार्थना-पत्र अस्वीकार/खारिज किया जाना पूर्णतया विधि सम्मत् एवं उचित रहेगा।

-: आदेश :-

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थना-पत्र प्रार्थीगण/वादीगण अंतर्गत धारा 212, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा भली-भाँति साबित नहीं होनें एवं सारहीन होनें से अस्वीकार/खारिज किया जाता है। पत्रावली इसी निमित निर्णित होकर संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ़्तर हो।

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी,जैतारण
(जिला-पाली)

निर्णय आज दिनॉक 28/07/2022 को सर-ए-इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी,जैतारण
(जिला-पाली)

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.07 13:46:07 IST
Reason: SelfAttested